

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 01/स्था.(एम.ए.सी.पी.)-18-13/2014...../रॉची, दिनांक:...../

शुद्धि पत्र

विभागीय अधिसूचना सं.-6565 दिनांक 06.11.2013 द्वारा झारखण्ड अभियंत्रण सेवा (जल संसाधन) के अभियंता, श्री अरुण कुमार चौधरी, कार्यपालक अभियंता, आई.डी.-1749 को तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना का लाभ प्रदान किया गया है। उक्त अधिसूचना में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

अधिसूचना संख्या-6565 दिनांक 06.11.2013 के क्रमांक-23 के स्तम्भ-05 में 01.02.2009 अंकित है, उसे 01.02.2014 पढ़ा जाय।

अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

आदेश की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह. / -

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव(प्र.)।

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, झोरखंडा रॉची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह. / -

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव(प्र.)।

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, रॉची, पो0-हिन्तू, रॉची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव(प्र.)।

ज्ञापांक :-

रॉची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ श्री अरुण कुमार चौधरी, तकनीकी सलाहकार, लघु सिंचाई अंचल, रॉची/ वेब इन्फार्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के उप सचिव(प्र.)।